

6/132

12124/16



71

उत्तर प्रदेश UTTAR P



शमशंकर



शमशंकर

B 317794

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि -	रु० 22,10,216/-
अग्रिम धनराशि -	रु० 22,05,216/-
बकाया धनराशि -	रु० 5,000/-
नालियत -	रु० 6,97,500/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प -	रु० 1,54,900/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिलनौर

शमशंकर



शमशंकर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 317791

3. ग्राम - बरीना
4. सम्पत्ति का विवरण- भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.083 हेक्टेअर, खसरा संख्या 140 रकबा 0.190 हेक्टेअर, खसरा संख्या 141 रकबा 0.057 हेक्टेअर कुल रकबा 0.310 हे० का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- बरीना, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

रमेश चंद



13 मारा 2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

831792

- 3
5. मापन की ईकाइ - हेक्टेअर
 6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.310 हेक्टेअर
 7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड से 200 मी० से अधिक दूर
 8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
 9. पेड़ों की स्थिति - कोई पेड़ नहीं है।

शुभदांभर

831792



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 317793

-4-

10. बोरिंग / कुआं अन्य- कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 139

उत्तर	:	खसरा नं० 135, 138
दक्षिण	:	खसरा नं० 140
पूरब	:	खसरा नं० 145
पश्चिम	:	खसरा नं० 140

समशान्त



17/11/2023



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

849034

02-06-2011

-3-

बीहदवी खसरा नं० 140 सं.

उत्तर : खसरा नं० 139
दक्षिण : खसरा नं० 151, 148
पूरब : खसरा नं० 147
पश्चिम : खसरा नं० 156, 157

शमशेर



श्री. प्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104978
+ 11/10

-6-

चीहवदी खसरा नं० 141

उत्तर : खसरा नं० 145
दक्षिण : खसरा नं० 140
पूरव : खसरा नं० 147
पश्चिम : खसरा नं० 140

रामशंकर



११/१०/१९७८



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104979

:-

प्रथम पक्ष की संख्या-1 : द्वितीय पक्ष की संख्या-1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
रामशंकर पुत्र भगवानदीन निवासी- बरौना, परगना विजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

रामशंकर



11/3 5/11/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V. 104988

-8-

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र रामशंकर पुत्र भगवानदीन
निवासी- बरौना, परगना बिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ
जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष
के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं)

रामशंकर



A = राजी प्रसाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104983

7 JUL 2011

-9-

एवम्

गवाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे निधी, किलौली, जिला
सयचरेली जिनहें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत
द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण
सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

रामप्रसाद



13/7/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V. 104981
11-1-1990

10

वह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 139, रकबा 0.063 हेक्टेअर, खसरा संख्या 140 रकबा 0.180 हेक्टेअर, खसरा संख्या 141 रकबा 0.057 हेक्टेअर कुल रकबा 0.310 हे० का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- बरौना, परगना- विजनीर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, फामिल व काश्जि है तथा उपरोक्त सत्यापित पटवारिक खता खतौनी संख्या 00594 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर असक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

राजेश्वर



D.S. 21/1/1990



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104982

11

प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिरसा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध
के द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के
मालिक, कानिल व काबिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि
भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त
वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं साफ व साफ है तथा
प्रथम पक्ष ने उक्त इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरती या
अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि

रामशंकर

3 जून 2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180851

42

ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध

शमशेर



0 3/11/1973



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



41

करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फ़क्कररूप कुल विक्रय मूल्य रु० 22,10,216/- (रु० बाईस लाख दस हजार दो सौ सोलह मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से बतौर अग्रिम धनराशि रु० 22,05,216/- (रु० बाईस लाख पाँच हजार दो सौ सोलह मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार

राजशंकर



12/3/2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180848

24

मुद्रांकन कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यही स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सजम अधिकारी से संक्रमणीय भूखिंदर दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूखिंदर घोषित होने के बाद सजम अधिकारी से विभाजित द्वितीय पक्ष के पक्ष में विज्ञापित विलेख अग्रण्य निष्पादित कर देगा तथा कोई भी हवाली या इन्कार नहीं करेगा तथा रोष सकाया क्षत्राणि रु० 5,000/- (रु० पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय

शमशेर

13 मई 1975



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180849

25/11/2011

25

विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।


राजेश्वर



15/11/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



28

प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अंश कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्यक्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान में वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरीना अधिनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु 22,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि

शमशान्द


A. अश्वि १९१३



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



19

0.310 हे० की मालियत रु 8,97,500/- होती है चूँकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 1,54,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र को निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

शमशान





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 060345 --
02 AUG 2011

20

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी ज़ोर व दबाव के स्वस्थ विलत मन से समक्ष गवांहान लिख दिया ताकि समय रहे और दकत ज़रूरत पड़ने पर काम आवे।

शमशेर



11.5.11/11/11

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

विद्युत-अनुदान बिलों (करोड़)		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रतिफल	मासिक	2,205,216.00	10,000.00	20	18,020.00	1,000
श्री	शामशांकर	उपनिवेश	संगठन	संगठन व प्रति दुकान	संगठन	उप निबंधक
पुत्र श्री	समजानदीन					

निवासी श्री/श्रीमा. पराधिकारी लखनऊ

दिनांक 12/8/2011 पन्ना 5:44PM

पत्रे प्रेषित हेतु पत्र संख्या

Handwritten signature/initials



निष्ठाधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ
12/8/2011

निष्ठाधिकारी के हस्ताक्षर व मुद्रा के अभाव में उपरोक्त प्रमाणपत्र अमान्य माना जायेगा।

श्री शामशांकर
पुत्र श्री समजानदीन
पेशा कृषि
निवासी श्री/श्रीमा. पराधिकारी लखनऊ

Handwritten signature/initials



श्री राम प्रसाद
पुत्र श्री समजानदीन
पेशा कृषि
निवासी पूरे निवासी किरायेदार लखनऊ

Handwritten signature/initials



मे निष्ठाधिकारी के हस्ताक्षर किया।
निवासी लखनऊ श्री रामशांकर
पुत्र श्री समजानदीन
पेशा कृषि

Handwritten signature/initials

निवासी श्री/श्रीमा. पराधिकारी लखनऊ
श्री रामशांकर
पुत्र श्री समजानदीन
पेशा कृषि
निवासी श्री/श्रीमा. पराधिकारी लखनऊ

Handwritten signature/initials



पत्र संख्या 54 दिनांक 12/8/2011 निष्ठाधिकारी के हस्ताक्षर

Handwritten signature/initials

पी. के. द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ
12/8/2011

परिशिष्ट: गुप्तान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि 20,55,216/- द्वारा बैंक संख्या-30 3252 दिनांकित 12.08.2011 पंजाब नेशनल बैंक हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।
2. प्रथम पक्ष को ₹0 1,50,000/- नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुये। जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य ₹0 22,05,216/- (₹0 बाईस लाख पाँच हजार दो सौ सोलह मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:

दिनांक : 12.08.2011

गवाह :

1. PANKAJ SHARMA
RAM NARESH SHARMA
LALBAH L.K.O

राजशंकर

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष



द्वितीय पक्ष

2. रामेश शर्मा
सोनी रोड
लखनऊ

आईपकर्ता



(लखनऊ सिविल कोर्ट लखनऊ)

मसबिदाकर्ता



(बैंकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

विज्ञापन

Registration No: 12124

Year: 2011

Desk No.: 1

0101 वास्तविक

व्यवसायिक

कॉन्ट्रिब्यूटिव्होस वास्तविक

पुस्तक




ग्राम - वरौना
 खसरा सं. - 139, 140, 141
 संख्या - 0632, 0190, 0578



रामराम
 विक्रेता

13/4/2010



सिवा

Registration No. : 12124

Year : 2011

Book No. : 1

0201 श्री प्रसाद
शर्मा
श्री श्री शिवजी एम्बेडी
शुभ



संख्या: 12124/2011


दिनांक: 15/05/2011

संख्या: 12124/2011

दिनांक: 15/05/2011

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स
 प्रथम पक्ष का नाम व पता- रामशंकर मुत्र भगवानदीन निवासी- बरौना, परगना विजनीर, तहसील
 व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



रामशंकर

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पता- गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे गिधी, किलौली, जिला
 रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

Gya Prasad

आज दिनांक 12/08/2011 को

प्लॉट नं 1 जिल्द नं 13115

पृष्ठ नं 43 से 88 पर क्रमांक 12124

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधीकारी के तत्वात्


पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

12-5/2011

